

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:प. 2(13)पपा-2000/पार्ट II

जयपुर,दिनांक 27.12.2004

विषय:- निजी क्षेत्र में संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्वीकृति बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कुल 44 पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उक्त प्रशिक्षण विद्यालयों की काउन्सिलिंग पूर्ण होते ही श्री अमर ज्ञान विद्यालय समिति, बीकानेर द्वारा मा0 राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 5908/2003 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, राज0 की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर निर्देश दिये गये कि याची के प्रतिवेदन पर कमेटी सुनवाई कर जो जो विद्यालय राज्य सरकार के माप दण्ड पूर्ण करते हों, उनको प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति दी जावे ।

मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता वाली समिति ने सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित कर इन संस्थाओं की पुनः निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जो संस्थाएं विभागीय माप दण्डों के अनुरूप पायी जावे, को प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने की अभिशंखा की ।

राज्य सरकार को जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण करने उपरान्त राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को पशुधन सहायक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करती है :-

क्र. सं.	जिला	संस्था का नाम	स्थान
1	हनुमानगढ़	स्वामी शिक्षा समिति, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
2	-	सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षण संस्थान, भादरा	भादरा
3	डूंगरपुर	एम.बी.हेल्थ एंड हाईजीन नसिंग शिक्षण संस्थान, डूंगरपुर	डूंगरपुर
4	झुन्झनू	रूरल एजुकेशन डवलपमेंट सोसायटी, चिड़ावा	चिड़ावा
5	झुन्झनू	आदर्श पिलानी एजुकेशन ट्रस्ट, पिलानी	पिलानी
6	करौली	राजीव गांधी सर्वोदय शिक्षण संस्थान, हिण्डोनसिटी	हिण्डोनसिटी


7	कोटा	महर्षि दाधीच विद्यानिकेतन कोटा	कोटा
8	श्रीगंगानगर	जे.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
9	श्रीगंगानगर	श्री मनोहर बाल मंदिर समिति, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
10	सीकर	शेखावाटी एजूकेशन सोशल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सीकर	सीकर
11	सीकर	एलाइन्स शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर	सीकर
12	बारां	सहारा शिक्षा समिति, कोटा	बारां
13	बीकानेर	सहेली समिति, बीकानेर	बीकानेर
14	बीकानेर	श्री महाजनी विद्यालय समिति बीकानेर	नाल (बीकानेर)
15	टोंक	देवनारायण विकास संस्थान, टोंक	टोंक
16	जोधपुर	मानव कल्याण विकास संस्थान, जोधपुर	जोधपुर
17	जोधपुर	श्री लाल बहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	भावी(जोधपुर)
18	जोधपुर	मयूराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, मंडोर, जोधपुर	जोधपुर
19	जयपुर	संजय शिक्षा समिति जयपुर	जयपुर
20	जयपुर	ज्योतिबाफुले सोशियल बेलफेयर सोसायटी चौमूं	जयपुर
21	जयपुर	गरीबनवाज सेवा समिति अलवर मुख्यालय शाहपुरा जयपुर	जयपुर
22	जयपुर	भारती बाल मंदिर समिति आमेर रोड जयपुर	जयपुर
23	अलवर	चौधरी चरणसिंह मेडिकल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	अलवर
24	अलवर	दीनबंधु शिक्षण संस्थान, खेडली	अलवर

Eo
(एम0 एल0 जागिड़)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय पशुपालन मंत्री, राजस्थान
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान
6. अध्यक्ष/सचिव, सम्बन्धित संस्था
7. रक्षित पत्रावली ।

जे.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट,
श्री गंगानगर ।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :- प.2।।3।पपा/2000

जयपुर, दिनांक :- 29.7.2003

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राज0, जयपुर।विषय :- चुरु, श्रीगंगानगर, बीकानेर, तीकर, जयपुर, जोधपुर,
हनुमानगढ़, बीदी, बारा, झालावाड़, अलवर जिलों
में निजी क्षेत्र के पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय
स्थापित किये जाने बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करने के
पश्चात् निम्नांकित संस्थाओं को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर निजी
क्षेत्र में पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति एतद्
द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान एवं जिला जहाँ पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जावेगा।
1.	2.	3.
1.	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, संस्था-ताटुलपुर। चुरु	ताटुलपुर। चुरु।
2.	जे.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, टांटिया हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर।
3.	श्री महाजनी विद्यालय समिति, बीकानेर	नाल। बीकानेर।
4.	शेखावाटी एजुकेशन एंड तोषयल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नवलगढ़ रोड़, तीकर	तीकर। तीकर।
5.	ज्योतिबा फूले तोषयल डवलपमेंट सोसायटी, अजमेर रोड़, जयपुर।	चौमू। जयपुर।
6.	शिवम् एवं ग्रामीण विकास समिति, जयपुर	जोबनेर। जयपुर।
7.	श्री लालबहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	जोधपुर। जोधपुर।
8.	तरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान, भादरा, हनुमानगढ़।	भादरा। हनुमानगढ़।
9.	सुहित जनकल्याण समिति, विज्ञान नगर, कोटा।	बीदी। बीदी।

1.	2.	3.
10.	सहारा शिक्षा समिति, विज्ञान नगर, कोटा	बारा । बारा ।
11.	सकल्य सेवा समिति, झालावाड़	झालावाड़ । झालावाड़ ।
12.	लिबर्टी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, जयपुर ।	जयपुर । जयपुर ।
13.	सती जावदे पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, भिमानी । हरियाणा ।	जनकपुरा निमराना । अलवर ।
14.	महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षण संस्थान, न्यू तांगानेर रोड, जयपुर ।	जयपुर । जयपुर ।
15.	गरीब नवाज सेवा समिति, अलवर	शाहपुरा । जयपुर ।
16.	एलाइन्ड शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तीकर ।	तीकर । तीकर ।
17.	टुरेन्ट बाल भारती समिति, जयपुर	जयपुर । जयपुर ।
18.	मनोहर बाल मन्दिर समिति, 5-डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ।	श्रीगंगानगर । श्रीगंगानगर ।

उपरोक्त संस्थाओं को राज्य सरकार/ निदेशक, पशुपालन विभाग, द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों की पालना के अतिरिक्त निम्नांकित बातों की पालना की जानी आवश्यक होगी :-

111 संस्था- निदेशक, पशुपालन विभाग । निदेशालय । एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरार तकनीकी संस्थाधर्मों से अपने संस्थान को तत्र प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक रूप से सुतज्जित करेंगी । मानदण्डों की अवहेलना की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी । फिर भी ऐसा कोई निष्पत्ति लिये जाने से पूर्व निदेशक, पशुपालन विभाग, संस्थान को अपनी कमियों में सुधार का अवसर प्रदान करेंगे ।

12। छात्रों/छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता नियमों के अनुरार होगी । इस संबंध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।

13। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजी संस्थाओं के संबंध में दिये गये निष्पत्ति अनुसार प्रवेश एवं शुल्क का निर्धारण किया जावेगा ।

14। संस्था को किसी भी प्रकार का अनुदान/अनुदान राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जावेगा ।

15। संस्था और प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में उत्तरदायित्वों के लिए संस्था जिम्मेवार होगी ।



Speed Post

Ph.2543419 (O)
2549348 (Fax)
email-regrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No.F.(50)/RAJUVAS/Reg.IGen/2013/ 664

Date:- 23/9/13

The Principal
Sriganganagar Institute of Veterinary Science
Tantia Higher Education Institute Campus,
Near RIICO Bus Stand, Hanumangarh Road,
Sriganganagar-335002


Sub:- New Admission to A.H.D.P. for the Academic Session 2013-14.


Sir,

This is in reference to the letter of the Director, Tantia University, Sriganganagar dated 21st August, 2013 informing that the admission for the Academic Session 2013-14 shall be made by the Tantia University, Sriganganagar, as the Tantia University, Sriganganagar has been established by an Act passed by State Assembly.

It is, therefore, informed that admissions to Animal Husbandry Diploma Programme for the Academic Session 2013-14 should be done by the Tantia University itself, as the existing Diploma institute has now become a constituent institute of the Tantia University, Sriganganagar as per the Provision of Section 3 (2) and Schedule II of the Ordinance. This is for your information and further necessary action please.

Yours faithfully


(Rakesh Rao)
REGISTRAR


Mr. Sanjay
Part up.